राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में बीज मसाले धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन की योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अनुदेश।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या– DoH/SS/18/2025–पी0पी0एम0–62 दिनांक–12.06.2025 द्वारा राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में बीज मसाले धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन की योजना का कार्यान्वयन तथा कुल 360.00 लाख (तीन करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न अनुसूची–1, 2, 3 एवं 4 के अनुरूप राज्य के 38 जिलों में कराया जायेगा।

1. योजना का उद्देश्य :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को चिन्हित बीज मसाले यथा– धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन के औषधीय तथा पौष्टिक गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी खेती के कुल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना है।

2. योजना के कार्यान्वयन से संबंधित अनुदेश :–

i. इस योजनान्तर्गत न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.10 हेक्टेयर) तथा अधिकतम 5.0 एकड़ (2.0 हेक्टेयर) तक का लाभ कृषकों को DBT in kind/DBT in cash के रूप में दिया जायेगा। बीज मसाले की खेती मुख्य रूप से लघु एवं सीमान्त कृषकों के साथ–साथ वैसे कृषक जिनकें पास जमीन नही है, पट्टे और बटाई की जमीन पर बीज मसाले की खेती करने वाले कृषकों को एकरारनामा (अनुसूची–4) के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा।

ii. सहायक निदेशक उद्यान द्वारा कैम्प लगाकर राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पटना/बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना से चयनित कृषकों को ससमय बीज की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायेगा। बीज प्राप्ति के समय जियो टैग सेल्फी फोटोग्राफ संबंधित कर्मी एवं आपूर्तिकर्ता के साथ कराया जायेगा।

iii. चयनित कृषक स्वीकृत रकबा के अनुसार DBT in kind के तहत नियमानुसार कार्यादेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों की अवधि तक राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पटना/बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना से बीज मसालों के सत्यापित गुणवत्तायुक्त बीज अपना OTP देकर प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित अवधि के बाद कार्यादेश स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा अन्य कृषकों का नियमानुसार चयन किया जायेगा।

iv. राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान, पटना/बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना द्वारा कृषकों को आपूरित बीज का अभिश्रव संबंधित सहायक निदेशक उद्यान को उपलब्ध कराया जायेगा। सहायक निदेशक उद्यान द्वारा अभिश्रव के अनुसार प्रथम किस्त की राशि में से बीज की राशि बीज आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी तथा शेष राशि कृषक के बैंक खाते में अन्य इनपुट एवं उपादान क्रय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

v. निरीक्षण प्रतिवेदन एवं Geo Tag फोटोग्राफ सॉफ्टवेयर में अपलोड करना अनिवार्य होगा।

3. आवेदन की प्रक्रिया:–

i. इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का कृषक होना तथा कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल (http://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों को उद्यान निदेशालय के वेबसाईट (horticulture.bihar.gov.in) पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

ii. योजना का लाभ लेने हेतु उक्त वेबसाईट पर आवेदन से संबंधित सभी कागजात अपलोड करना आवश्यक होगा। इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली/एकरारनामा (विहित प्रपत्र) के आधार पर विधि मान्य भू–स्वामित्व का प्रमाण–पत्र में से कोई एक उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। बीज मसाला की खेती सभी प्रकार के जोत वाले कृषकों के साथ–साथ वैसे कृषक, जिनके पास जमीन नहीं है, पट्टे और बटाई की जमीन पर बीज मसाला खेती करते है, उन कृषकों को एकरारनामा के आधार पर योजना का लाभ दिया जायेगा।

iii. किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में योजना का प्रचार–प्रसार करते हुए लक्ष्य अनुरूप ऑनलाईन आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. आवेदन की जाँच (सत्यापन) :–

इच्छुक कृषकों द्वारा वेबसाईट पर किये गये ऑनलाईन आवेदन को प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी अथवा सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नामित कर्मी द्वारा 7 (सात) दिनों के अन्दर सत्यापन करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त सत्यापन कार्य निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नहीं होने पर आवेदन स्वतः अग्रसारित होने की स्थिति में उक्त सत्यापन हेतु संबंधित कर्मी जवाबदेह होंगे।

5. लाभुक चयन की पात्रता एवं प्रक्रिया :–

i. लाभुक का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।

ii. योजना का लाभ सामान्यतया कृषक परिवार को दिया जायेगा। कृषक परिवार का मतलब पति–पत्नी एवं नाबालिग बच्चा होगा।

iii. कृषकों का कोटिवार चयन स्वीकृत्यादेश में निहित आदेश के आलोक में किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा कि लाभुक में प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

iv. जिला उद्यान कार्यालय में लाभुक से संबंधित योजना पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

v. सत्यापनोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान/स्वीकृति प्राधिकार द्वारा योग्य आवेदक को कार्यादेश 7 (सात) दिनों के अन्दर निर्गत करना आवश्यक होगा।

vi. कार्यादेश में कार्य को पूरा करने का समय एवं अनुदान भुगतान की समय–सीमा का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

6. अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया :–

योजनान्तर्गत एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के ऑपरेशनल गाईडलाइन 2025 के अन्तर्गत बीज मसाला फसलों हेतु लागत 50,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है, जिसका 40 प्रतिशत अर्थात 20,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2.0 हेक्टेयर के लिये 60:40 के अनुपात में दो किस्तों में अनुदान दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में 12,000.00 रूपये बीज एवं INM/IPM इत्यादि के क्रय पर तथा दूसरे किस्त के रूप में 8,000.00 रूपये बीज स्थापन (Seed Setting) उपरान्त स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

7. पदेन कर्तव्य एवं दायित्व :–

क. प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी –

I. प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/कृषि समन्यवक द्वारा संबंधित योजना का प्रचार–प्रसार संबंधित प्रखंड/पंचायत में किया जायेगा। प्रचार–प्रसार के उपरान्त सभी प्रखंडो/पंचायतों के तहत् ऑनलाईन आवेदन कराना सुनिष्चित करेंगे।

II. प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड में कार्यान्वित योजना का ससमय शत–प्रतिशत निरीक्षण करेंगे तथा जियो टैग्ड फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे।

ख. सहायक निदेशक उद्यान –

I. योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन।

II. कार्य निष्पादित अवयवों का अविलम्ब भौतिक सत्यापन हेतु संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी को निदेशित करना।

III. योजना के प्रगति का समीक्षा करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/निदेशक उद्यान, बिहार को अवगत कराना। साथ ही साथ अवयववार प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।

IV. CFMS से भुगतान के आलोक में अवयववार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को संबंधित सॉफ्टवेयर में नियमानुसार कार्यारम्भ से अंत तक की प्रविष्टि निर्धारित समय–सीमा के तहत् सुनिश्चित कराना तथा उसकी समीक्षा करना।

V. दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।

VI. जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, जिला में योजना का निरीक्षण करेंगे।

ग. प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान :–

I. प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही से निदेशक उद्यान, बिहार को अवगत कराना।

II. योजना के तहत् विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमंडल के सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति ससमय हो सके।

III. CFMS से भुगतान के आलोक में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की समीक्षा अपने प्रमंडलीय जिला में समय–समय पर परिभ्रमण के क्रम में करना।

IV. प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजना का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

घ. **योजना के नोडल पदाधिकारीः–**

I. योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।

II. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।

III. योजना के ऑनलाईन मासिक प्रगति के समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर निदेशक उद्यान, बिहार को उपलब्ध कराना।

IV. योजना का समय–समय पर यथा आवश्यक निरीक्षण करना।

ङ. **निदेशक, उद्यानः–** मुख्यालय स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करते हुए योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

निदेशक उद्यान, बिहार

अनुसूची – 4

(55)

(12)

कृषि विभाग

उद्यान निदेशालय, बिहार।

बीज मसाले की योजना का लाभ लेने हेतु एकरारनामा (गैर–रैयत कृषक)

(विहित प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि

1. मै...पिता/पति.. ग्राम..पोस्ट..पंचायत.. प्रखंड.................................जिला.................................का निवासी हूँ। मैंने बीज मसाले यथा– धनिया/मेथी/सौंफ/मंगरैल/अजवाइन की खेती हेतु कृषक श्री.. पिता/पति...ग्राम..............................पोस्ट............................. पंचायत......................................प्रखंड..जिला................................... से खाता संख्या.........................खेसरा संख्या.......................रकवा.................जमीन बटाई/पट्टा पर प्राप्त किया है।
2. बटाई/पट्टा पर ली गई उपर्युक्त जमीन पर बीज मसाले की खेती की जायेगी।
3. उपर्युक्त सूचना सही है किसी प्रकार का विवाद होने पर उसकी सारी जबावदेही मेरी होगी, तथा मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जा सकता है।

कृषक का हस्ताक्षर

खेत के बगल के दो किसानों का नाम एवं हस्ताक्षर
(मोबाईल नं० सहित)

1 गवाह का नाम एवं पता हस्ताक्षर

....

....

2 गवाह का नाम एवं पता हस्ताक्षर

....

....

सत्यापनकर्ता (कृषि समन्वयक/प्रखंड उद्यान पदाधिकारी/प्रखंड कृषि पदाधिकारी)